रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 337] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 2017/पौष 1, 1939
No. 337] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 2017/PAUSA 1, 1939

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

फा. सं. 23/01/2004-आरएंडआर (खण्ड-IV).—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 2 के खण्ड (55) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा तारीख 25 मई, 2005 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1 में प्रकाशित तारीख 25 मई, 2005 की संकल्प सं. 23/1/2004-आरएंडआर द्वारा विद्युत मंत्रालय में उत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति का गठन किया गया था;

और उक्त संकल्प का पैरा 3 उत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति के सदस्यों के लिए उपबंध करता है जिसका केन्द्रीय सरकार संशोधन करने का आशय रखती है, अर्थातः-

अतः, अब, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा (2) के खण्ड (55) के उपबंधों के अनुसरण में उक्त संकल्प का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त संकल्प में, पैरा 3 में, खण्ड (VII) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(VII क) भारत सरकार द्वारा, क्षेत्र के साथ विद्युत अंतर-संयोजन रखने वाले देशों के साथ सीमा पार के विद्युत संव्यवहारों का समन्वय करने के लिए, नियुक्त प्रत्येक नोडल एजेंसी का एक प्रतिनिधि।"

शालिनी प्रसाद, अपर सचिव

टिप्पणः मूल संकल्प भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1 में तारीख 25 मई, 2005 की फा. सं. 23/1/2004-आरएंडआर दिनांक 25 मई, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् तारीख 29 नवम्बर, 2005 की संकल्प फा. सं. 23/1/2004-आर एण्ड आर, तथा तारीख 9 मई, 2008 की फा. सं. 23/1/2004-आरएंडआर (खण्ड-II) तारीख द्वारा संशोधित किये गये थे।